

क्रमांक प.2(3)(ब)(3370)आ.कृ./

दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित कृषि पर्यवेक्षकों को उनके कार्यालय की अभिशंषा एवं स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर परीक्षा/साक्षात्कार/काउंसलिंग अवधि के अलावा अन्य कोई अवकाश देय नहीं होने की शर्त पर उनके नाम के सम्मुख अंकित परीक्षा/साक्षात्कार/काउंसलिंग में सम्मिलित होने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम कृषि पर्यवेक्षक	कार्यालय का नाम	परीक्षा/साक्षात्कार/काउंसलिंग आयोजक का नाम	पद जिसके लिए परीक्षा/साक्षात्कार/काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जानी है।
1.	विश्वेन्द्र सिंह	सहा० निदे० कृषि (वि०) भरतपुर	शिक्षा विभाग	स्कूल व्याख्याता (कृषि) भर्ती 2018
2.	रेणु चौधरी	सहा० निदे० कृषि (वि०) सांगानेर	आर.पी.एस.सी.	प्राध्यापक (कृषि) भर्ती
3.	रामबाबू	सहा० निदे० कृषि (वि०) भरतपुर	शिक्षा विभाग	स्कूल व्याख्याता (कृषि) भर्ती 2018
4.	महावीर सिंह	सहा० निदे० कृषि (वि०) भरतपुर	शिक्षा विभाग	स्कूल व्याख्याता (कृषि) भर्ती 2018
5.	यदुनाथ सिंह	सहा० निदे० कृषि (वि०) बयाना	शिक्षा विभाग	स्कूल व्याख्याता (कृषि) भर्ती 2018
6.	रामदेव टोगस	सहा० निदे० कृषि (वि०) मेड़तासिटी	शिक्षा विभाग	स्कूल व्याख्याता (कृषि) भर्ती 2018
7.	रघुवीर मीणा	जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी, कोटा	शिक्षा विभाग	राजस्थान अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा 2021

उपरोक्त कृषि पर्यवेक्षकों का यदि उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर चयन हो जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह आदेश आयुक्त कृषि से अनुमोदित है।

६०
(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)